**न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,अम्बेडकरनगर**

UPAN010035852025

Final Report/174/2025

विनीता देवी बनाम सेवाराम आदि

**04.12.2025**

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वादिनी विनीता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र कागज संख्या–9अ पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के अनुसार वादिनी का कथन है कि वह गाटा संख्या–51 व गाटा संख्या–52 शिवकुमार पुत्र रामचरन,राजकुमार पुत्र भगेलू, गुजराती पत्नी भगेलू, शिवचरन पुत्र लौटू से बैनामा लिया था और जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर लिया। गाटा संख्या–53 जो कि सेवाराम, बाबूराम यादव,रक्षाराम यादव पुत्रगण स्व0 कोमल यादव के नाम है। सेवाराम व अन्य उनके भाई व लड़का अंकित यादव प्रार्थिनी के द्वारा गाटा संख्या–51, 52 में कब्जा करने का प्रयास किया जाता है और कहते है कि मेरा गाटा संख्या– 51 व 52 में जमीन है। प्रार्थिनी द्वारा तहसील जलालपुर में पैमाइश हेतु प्रार्थनापत्र दिया था। लेखपाल महोदय द्वारा पैमाइश किया जाना था। प्रार्थिनी अपने पति के साथ व रीता पत्नी विनोद कुमार,दुलारी पत्नी जयश्री,सुभाषचन्द्र पुत्र हंसराम,संगीता देवी पत्नी सुभाषचन्द्र, शिवकुमार पुत्र रामचरन,गंगा सागर पाण्डेय पुत्र रामजगत पाण्डेय के साथ भूमि गाटा संख्या–51 व 52 पर गयी थी। दिनांक 17.07.2024 को लेखपाल आयेंगे पैमाइश हेतु इस बात की जानकारी सेवाराम को थी। सेवाराम अपने भाईयों व लड़के अंकित के साथ प्रार्थिनी के पास आये। प्रार्थिनी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंदी–गंदी गाली देते हुए कहे कि तुम मेरे खिलाफ रहा है। दरख्वास्त देती हो। मैं तुमको व तुम्हारे परिवार को जान से मार दूँगा और मैं खेत की नाप नहीं करने दूंगा। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति व साथ गये गंगासागर पाण्डेय,सुभाषचन्द्र,शिवकुमार,रीता, द्व ारा मना किया गया लेकिन नहीं माने। हल्ला लेखपाल आये। विपक्षीगण द्वारा कहा गया कि विवादित है। लेखपाल महोदय बिना नाप के चले गये। प्रार्थिनी द्वारा घटना के बावत उसी दिन थाना जलालपुर में प्रार्थनापत्र दिया गया लेकिन थाना जलालपुर की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी को कई दिन थाने बुलाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी ने विवेश होकर दिनांक 28.07.2024 को उप पुलिस अधीक्षक महोदय जलालपुर को प्रार्थनापत्र दिया। उप पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना जलालपुर की पुलिस द्वारा प्राथमिकी विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। दौरान विवेचना विवेचक महोदय विपक्षीगण के प्रभाव में आकर विवेचना की गयी। घटना के समय मौजूद व्यक्ति के बारे में प्रार्थिनी द्वारा बताया कि घटना के समय मौजूद थे लेकिन विवेचक महोदय प्रभाव के कारण प्रार्थिनी द्व ारा बताये गये व्यक्तियों का बयान नहीं लिया और न ही गवाह बनाया गया। विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है। विपक्षीगण द्वारा बताये गये लोगों को गवाह बनाया गया और अन्तिम आख्या प्रेषित किया गया। विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या बी 51/2024 दिनांक 24.08.2024 निरस्त किया



Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2025.12.06 10:00:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाना अति आवश्यक है। अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर प्रकरण की पुनः विवेचना कराये जाने की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा उप पुलिस अधीक्षक जलालपुर,जनपद अम्बेडकरनगर को दिये गये तहरीर पर उप पुलिस अधीक्षक जलालपुर,अम्बेडकरनगर आदेश के अनुक्रम में अपराध संख्या–278/2024 ,धारा–191(2),352,351(2) व धारा–3(1)द,ध, एससी/एसटी एक्ट थाना–जलालपुर में अभियुक्तगण के विरूद्ध कायम किया गया। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी तथा यह पाया गया कि विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्यों व ग्रामवासियों के बयानात व लेखपाल के बयान एवं आरोपीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के अवलोकन से पाया गया कि वादिनी श्रीमती विनीता पत्नी मायाराम उपरोक्त व सेवाराम,बाबूराम यादव,रक्षाराम यादव,आत्माराम यादव पुत्रगण स्व0 कोमल यादव,अंकित यादव उपरोक्त के मध्य जमीनी विवाद है व जमीन के कब्जेदारी को लेकर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी निरीक्षण घटनास्थल, बयानात ग्रामवासी से घटित घटना के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या–बी 51/2024 दिनांक 24.08.2024 को समाप्त की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा अपने तहरीर में यह कहा गया कि वह गाटा संख्या–51 व गाटा संख्या–52 का दस्तावेज बैनामा दर्ज खातेदारों ने तहरीर कराकर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया है। विपक्षीगण गाटा संख्या–53 के खातेदार है। प्रार्थिनी के बैनामाशुदा भूमि को हड़पने हेतु बराबर प्रयास करते रहते है तथा वादिनी के नामान्तरण वाद की झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर आपत्ति दाखिल कर करके प्रार्थिनी को बराबर हैरान परेशान करते रहते है। प्रार्थिनी अपनी क्रय की गयी भूमि को दिनांक 17.07.2024 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पैमाइश किया जाना था तब विपक्षीगण गोलबन्द होकर प्रार्थिनी को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके प्रार्थिनी को व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। स्वंय वादिनी द्वारा भी यह कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है और विपक्षी के प्रभाव में आकर उसे फायदा पहुॅचाने के उददेश्य से अन्तिम रिपोर्ट दाखिल किया गया है। ऐसे में प्रकरण का न्यायालय द्वारा स्वंय विचारण किए जाने हेतु पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को निरस्त कर तथा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

थाना–जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर की पुलिस द्वारा अपराध संख्या–278/2024 धारा–191(2),352,351(2) व धारा–3(1)द,ध, एससी/एसटी एक्ट में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट संख्या–बी 51/2024 दिनांकित–24.08.2024 निरस्त किया जाता है। मामला परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक–02.01.2026 को पेश है। वादिनी उक्त दिनांक को समस्त गवाहान की सूची भी प्रस्तुत करे।

दिनांकः–04.12.2025

(राम विलास सिंह)
विशेष न्यायाधीश
एससी/एसटी एक्ट

अम्बेडकरनगर